

प्रेषक,

अनिल कुमार वर्मा-I
जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।

सेवामें,

महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : जे0वी0 2738 / पन्द्रह, दिनांक : जौनपुर, सितम्बर 04, 2025 ई0।

विषय— **दिव्यांग अधिवक्तागण हेतु गठित अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) की बैठक के सम्बन्ध में।**

महोदय,

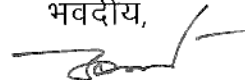
उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 3551/वी0-सी0पी0सी0/ई-कोर्ट्स/इलाहाबाद दिनांकित 05.01.2024 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जिला न्यायालय में एक अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) का गठन कर ई-कमेटी (E-Committee) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित पत्रांक 3607/वी-सी0पी0सी0/ई-कोर्ट्स/इलाहाबाद, दिनांकित 03.04.2024 के द्वारा भी दिव्यांग अधिवक्तागण/वादकारीगण हेतु जनपद न्यायालय में प्रचलित कार्य पद्धति के सम्बन्ध में आख्या आहूत की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2025 को कमेटी के सम्पर्क नम्बर को S3WAAS वेबसाईट पर भी अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके अनुपालन में S3WAAS वेबसाईट पर विवरण अपलोड किया जा चुका है।

इसी क्रम में उक्त समिति की तृतीय त्रैमासिक बैठक दिनांक 03.09.2025 को समिति के अध्यक्ष/अपर जिला जज चतुर्थ की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में एक बैठक आहूत की गयी जिसमें समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे (बैठक की छायाप्रति संलग्न) उक्त बैठक में समिति द्वारा कोई भी समस्या आने पर निराकरण हेतु विचार-विमर्श किया गया एवं उसका विवरण जनपद न्यायालय की वेबसाईट S3WAAS पर भी अपलोड किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
ससम्मान।

संलग्नक—

यथा उवरोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार वर्मा-I),
जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।

**जनपद न्यायालय जौनपुर में गठित
Accessibility Committee के बैठक की सूचना**

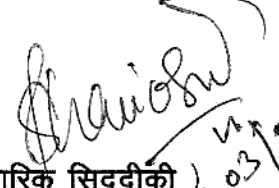
1. श्री अनुज कुमार जौहर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, जौनपुर। (सदस्य)
2. श्री अभिताम श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर (सदस्य)
3. श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट (सदस्य)
4. श्री श्याम लाल सरोज, डी०एस०ए० (सदस्य)

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 3551/V-CPC/eCourts दिनांकित 05.01.2024 के अनुपालन में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के प्रशासकीय आदेश संख्या 25/2024 दिनांकित 09.01.2024 एवं तत्सम्बन्धी प्रशासकीय आदेश संख्या-84/2024 दिनांकित 23.04.2024 एवं प्रशासकीय आदेश संख्या-203/2024 दिनांकित 04.12.2024 के द्वारा मेरी अध्यक्षता में अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) का गठन करते हुए आप सब को उक्त कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। साथ ही यह निर्देशित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जावे।

उक्त के अनुपालन में आज दिनांक 03.09.2025 को समय 01.30 बजे अपराह्न उक्त समिति की तृतीय त्रैमासिक बैठक मेरे विश्राम कक्ष में आहूत की गयी है। उक्त बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु विचार विमर्श किया जायेगा। समिति की बैठक में सभी सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है।

उक्त आहूत बैठक की सूचना डी०एस०ए० द्वारा समस्त सदस्यों को अपने स्तर से दी जावे।

दिनांक: 03.09.2025 ई०।


(मौ० शारिक सिद्दीकी), 03/09/25
अपर जिला जज चतुर्थ/
अध्यक्ष
Accessibility Committee
जौनपुर।

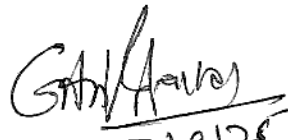
1 - N@JMM - Jd. N

2. Court Manager, Jd.

3. Girish K. Srivastava, Adv.

4. S.A. -


03/09/25


03/09/25

**जनपद न्यायालय, जौनपुर में गठित अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee)
की तृतीय त्रैमासिक बैठक का वृत्तांश**

आज दिनांक 03.09.2025 को अपराह्न 01.30 बजे मेरे विश्राम-कक्ष में आहूत की गयी जिसमें मेरे अतिरिक्त समिति के सदस्यगण श्री अनुज कुमार जौहर, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय, श्री अमिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर, श्री श्यामलाल सरोज डी0एस0ए0 तथा श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट उपस्थित रहे। इसके पहले इस कमेटी की द्वितीय बैठक दिनांक 19.06.2025 को हुई थी जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किये गये प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करने हेतु विचार-विमर्श किया गया एवं उसको जनपद न्यायालय जौनपुर की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया। उक्त दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में तथा समिति की पूर्व में हुई विचार विमर्श बैठक के क्रम में आज की आहूत की गयी बैठक में समेकित रूप से निम्न प्रस्ताव परित किया गया :-

1. आज समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय गठित समिति के लिये गठित ई-मेल पते-**committeeaccessibility@gmail.com** को प्रचारित एवं प्रसारित किया जावे तथा जिला न्यायालय की वेबसाईट **S3WAAS** पर भी अपलोड किया जावे जिससे विशेष रूप से असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण/न्यायिक अधिकारीगण जो न्याय प्रणाली तक पहुँचने में असमर्थ हैं एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों केवल वही लोग उक्त ई-मेल पते से विवरण प्राप्त कर एवं सम्पर्क करके अधिकाधिक उक्त सुविधा का लाभ उठा सकें।
2. असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण की सूची का अवलोकन से विदित है कि अब तक कुल 30 अधिवक्तागण का ही आवेदन प्रज्ञपत हुआ है जो कि सूची बद्ध किये गये हैं। सूची में नये नामों की वृद्धि हेतु असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण जो न्याय प्रणाली तक पहुँचने में असमर्थ हैं एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं, पुनः पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर एवं तहसील स्तर के ग्राम न्यायालयों में अधिवक्ता समितियों को पुनः पत्र प्रेषित किया जावे।
3. अभिगम्यता समिति की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार केवल असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण/न्यायिक अधिकारीगण ही जो न्याय प्रणाली तक पहुँचने में असमर्थ हैं एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हो स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि/लिपिक के द्वारा ई-फाईलिंग की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं न कि प्रत्येक व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस सम्बन्ध में भी समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस बात को भी न्यायालय की वेबसाईट **S3WAAS** पर अपलोड किया जावे।
4. समिति की बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि (SOP) में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार सभी दस्तावेज डिजिटली हस्ताक्षरित होने चाहिये एवं केवल ई-स्टाम्प का ही प्रयोग मान्य होगा।
5. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में किये गये कार्यों एवं दाखिल/निस्तारित वादों की संख्या सूची भी प्रकाशित करेगी जिसको न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद भी समय-समय पर सूचित करेगी।



6 उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अभिगम्य दस्तावेज (Accessible Documents) की जाँच करने हेतु एवं वादकारियों की समस्याओं के निराकरण/सहयोग हेतु डी0एस0ए0 एवं एस0ए0 सिस्टम आफ़ीसर का आपेक्षित सहयोग लिया जावे।

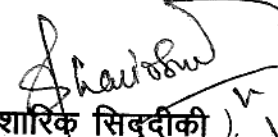
7. बैठक में यह भी विचार विमर्श किया गया कि यदि किसी आवश्यक समस्या का निराकरण करना हुआ या माननीय उच्च न्यायालय का कोई दिशा निर्देश मिला तो समय पूर्व भी बैठक आहूत कर उक्त पर विचार विमर्श कर समस्या का निराकरण किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी विन्दु पर विचार विमर्श नहीं किया गया और आज की बैठक अग्रिम बैठक तक के लिये स्थगित की जाती है।

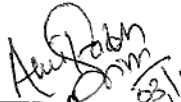

03/09/2025

(अनुज कुमार जौहर),

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय / सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(मौ0 शारिक सिद्दीकी),
अध्यक्ष,
03/09

अपर जिला जज चतुर्थ,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(अमिताभ श्रीवास्तव),
03/09/25

कोर्ट मैनेजर / सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(गिरीश कुमार श्रीवास्तव),
03/09/25

एडवोकेट / सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(श्याम लाल सरोज),
03/09/2025

डी0एस0ए0 / सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।

Seen
3

प्रेषक,

मौ० शारिक सिद्दीकी,
अपर जिला जज चतुर्थ, /

अध्यक्ष,

अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee),
जनपद न्यायालय, जौनपुर।

सेवामें,

अध्यक्ष/मन्त्री,

दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ,
जौनपुर।

विषय—

दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर में तथा तहसील स्तर पर ग्रामीण न्यायालयों में वकालत व्यवसाय कर रहे विकलांग अधिवक्तागण की सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में ससममान अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 3551/V-CPC/eCourts दिनांकित 05.01.2024 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पत्र दिनांकित 06.11.2023 का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया है कि प्रत्येक जनपद न्यायालयों में एक अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee), का गठन किया जाये। इस सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित कमेटी की सूचना आपको पूर्व में दी जा चुकी है। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया था कि ऐसे अधिवक्तागण जो इस सुविधा के पात्र हैं (जो न्याय प्रणाली तक पहुँचने में असमर्थ हों एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों) उनकी सूची उपलब्ध करवायी जाय। माह जून, 2025 में समिति की बैठक तक में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अब तक कुल 30 अधिवक्तागण का प्रार्थना पत्र दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ तथा विभिन्न ग्रामीण न्यायालय से प्राप्त हुए हैं।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आपके अधिवक्ता संघ में ऐसे अधिवक्तागण जो न्याय प्रणाली तक पहुँचने में असमर्थ हों एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों उनकी सूची संलग्न निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे उनका डाटाबेस तैयार किया जा सके एवं माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उनको उक्त सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

दिनांक : 03.09.2025 ई०।

भवदीय

(मौ० शारिक सिद्दीकी),

अपर जिला जज चतुर्थ, /

अध्यक्ष,

अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee),

जनपद न्यायालय, जौनपुर।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को प्रेषित : —

1. अध्यक्ष/मन्त्री, कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति, जौनपुर।
2. अध्यक्ष/मन्त्री, समस्त तहसील अधिवक्ता समिति, जौनपुर
3. समस्त ग्रामीण न्यायालय, जनपद जौनपुर।

Details of Disabled Lawyers Practicing in Concerned Court/ Gram Nyayalayas/Collectrate Bar, District Jaunpur

S.N.	Name of Advocate	Father's Name	Registration Number	Mobile Number	E-Mail Address	Remark
1	Girish Kumar Srivastava (Member Accessibility Committee)	Ramakant Lal Srivastava	UP04583/1983	9919667469	girishsrivastav34@gmail.com	
2	Savita Yadav	Ramji Yadav	UP09137/2023	8115077143	sikanarayadav0554@gmail.com	
3	Kranti	Nirmal Kumar	UP25156/2023	9569313289	krantikm6@gmail.com	
4	Manoj Kumar Yadav	Lal Chand	UP02689/2024	7052974005	Manojyadavjnp4005@gmail.com	
5	Prakash Chandra	Awadh Narain	UP05036/2002	9721775064	prakashchandra972177@gmail.com	
6	Brij Lal Yadav	Ram Shankar Yadav	UP01847/2020	6391935804	raviyadav092775@gmail.com	
7	Vivek Kumar Singh	Rajendra Bahadur Singh	UP03077/2004	9415652559	svivekkumar30@gmail.com	
8	Muhammad Arif	Abdul Zabbar	UP09441/2020	9198420266	mohdarif266@gmail.com	
9	Harendra Bahadur Singh	Tej Bahadur Singh	UP02799/1987	9794966931	harendra6@gmail.com	
10	Ram Chandra Pathak	Vijay Bahadur Pathak	UP03969/2012	9935670090	ramchandrapathak986@gmail.com	
11	Deepak Kumar Yadav	Sabhajeet Yadav	UP01537/2016	7800545425	dky20890@gmail.com	
12	Ashok Kumar Gupta	Gopal Das Gupta	UP00254/1994	6394989893	guptaashokkumar857@gmail.com	
13	Chhote Lal Verma	Mewa Lal	UP04757/1983	9651600235	advchhotelal01@gmail.com	
14	Om Prakash Dubey	Rajpati Dubey	UP03657/1990	9415666126	opdubey111951@gmail.com	
15	Heera Lal Yadav	Ram Raj Yadav	UP05004/2000	9984852372	heerayadav8433535@gmail.com	
16	Vikash Yadav	Arjun Ram Yadav	UP00339/2011	7800179388	advvikaskumaryadav@gmail.com	
17	Babloo Yadav	Jagar Nath Yadav	UP04395/2016	9721367888	bablooyadav080888@gmail.com	
18	Akhilendra Chaubey	Jagdeesh Chaubey	UP19352/2010	9792776590	akhilendraluckky@gmail.com	
19	Kaushlendra Bahadur Singh	Jitendra Bahadur Singh	UP06750/1994	9565495330	kbs071727@gmail.com	

20	Bhaiya Lal	Shital Deen Patel	UP12450/1999	9839136645		
21	Ajeet Kumar	Shyam ji Nishad	UP03107/2021	9935270142	ajkumar19920@gmail.com	
22	Jai Ram Yadav	Ram Yash Yadav	UP03653/1981	9936463580		
23	Pawan Sharma	Ganga Ram Sharma	UP19926/2024	7052065672	pavansharmajnp94@gmail.com	
24	Surya Bhan Singh	Lalta Prasad Singh	UP5823/2002	9792751547	singhsuryabhan696@gmail.com	
25	Raj Nath	Ganga Ram	UP06291/2020	6307363255	rajnk9935@gmail.com	
26	Narendra Kumar Pandey	Ram Abhiliash Pandey	UP03393/1976	9140361983		
27	Bijendra Kumar	Udresh Kumar	UP07112/2012	9026048723	bijendraadvocate123@gmail.com	
28	Ramesh Chandra Singh	Doodh Nath Singh	UP03694/1984	9451608880	Rameshchandrasingh455@gmail.com	
29	Nagendra Prasad Srivastav	Fateh Bahadur Srivastav	UP00137/1992	9453084158	nagendraadv4158@gmail.com	
30	Rajesh Chandra Tiwari	Lalta Prasad Tiwari	UP15650/2000	9198326951		

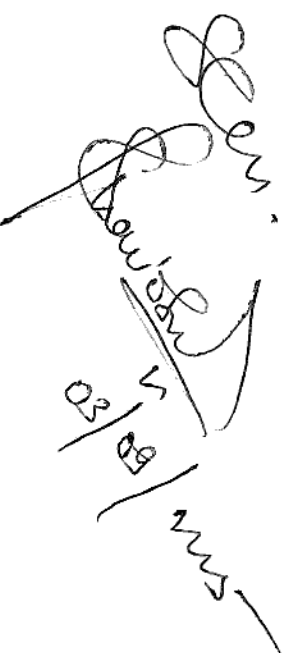
श्रीमानजी,

दीवानी न्यायालय अधिवका संघ, जौनपुर तथा ग्राम न्यायालय केराकत,मछलीशहर,शाहगंज में विधि व्यवसाय कर रहे असक्षम अधिवकागण की उपरोक्त सूची माह अगस्त, 2025 तक की (कुल 30 अधिवकागण) प्राप्त है जो श्रीमानजी के अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है ।

Civil Court Jaunpur

D.S.A.

02/08/2025



केन्द्रीय कम्प्यूटर अनुभाग
जनपद न्यायालय, जौनपुर

आदेश

(दिनांक: 03.09.2025 ई0।)

दिनांक 03.09.2025 को मेरे विश्राम-कक्ष में अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) की बैठक आहूत की गयी जिसमें मेरे अतिरिक्त समिति के सदस्यगण श्री अनुज कुमार जौहर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, श्री अमिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर, श्री श्याम लाल सरोज, डी0एस0ए0 एवं श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट उपस्थित रहे। उक्त बैठक में समस्याओं पर विचार किया गया तथा सभी सदस्यों द्वारा अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किये गये एवं उक्त पर सम्यक रूप से विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं प्राप्त मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन होना आवश्यक है।

अतएव उक्त प्राप्त दिशा निर्देशों को अक्षरशः अनुपालन करने हेतु डी0एस0ए0/एस0ए0 को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं इस सम्बन्ध में तकनीकी सहायता हेतु सिस्टम आफ़ीसर/टी0एम0पी0 का सहयोग लिया जावे। उक्त कमेटी का ई-मेल पता एवं अन्य आवश्यक विवरण जनपद न्यायालय की वेबसाइट S3WAAS पर अपलोड किया जावे। अधिवक्तगण की सूची तैयार करने हेतु दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर एवं अधिवक्ता समिति कलेक्ट्रेट, जौनपुर तथा समस्त ग्रामीण न्यायालयों को पत्र प्रेषित हो।

दिनांक: 03.09.2025 ई0।

(मौ0 शारिक सिद्दीकी),

अपर जिला जज चतुर्थ, /

अध्यक्ष,

(Accessibility Committee),

जनपद न्यायालय, जौनपुर।